



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012—चैत्र 24, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 1895-इक्कीस-अ(प्रा.)-शुद्धि पत्र.— “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 9 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द पढ़ा जाए :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द

राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें
वह शब्द आया है

शुद्ध शब्द जो पढ़ा जाए

(1)

(2)

(3)

| पृष्ठ | पंक्ति |
|-------|--------|
|-------|--------|

मध्यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 890 (21) 18 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय

मध्यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 890 (21) 23 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय

| (1) | (2) | | (3) |
|--|----------|--------|---|
| | पृष्ठ | पंक्ति | |
| मध्यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय | 890 (21) | 27 | जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय |
| मध्यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय | 890 (22) | 8 | जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय |
| मध्यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय | 890 (22) | 11 | जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय |
| मध्यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय | 890 (22) | 18 | जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय |
| मध्यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय | 890 (22) | 26-27 | जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय |
| मध्यप्रदेश जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय | 890 (22) | 34 | जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय |
| Madhya Pradesh Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | 890 (53) | 36 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya |
| Madhya Pradesh Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | 890 (54) | 2 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya |
| Madhya Pradesh Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | 890 (54) | 6-7 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya |
| Madhya Pradesh Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | 890 (54) | 25 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya |
| Madhya Pradesh Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | 890 (54) | 31 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya |
| Madhya Pradesh Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | 890 (54) | 38 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya |
| Madhya Pradesh Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | 890 (55) | 4 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya |
| Madhya Pradesh Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya | 890 (55) | 11 | Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya |

राजेश यादव, अपर सचिव.

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. एफ-11-1-2012-तीस.—भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन के सभागृह ओपन स्टेज, लॉन एवं स्वराज पार्क का उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं, गैर व्यावसायिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं, सरकारी विभागों, निकाय-निगमों, सामाजिक संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये किया जाता है। राज्य शासन, रवीन्द्र भवन के सभागृह, ओपन स्टेज, लॉन तथा स्वराज पार्क के आरक्षण एवं उपयोग के लिए अब निम्नानुसार नियम बनाता है।

नियम

भाग-एक संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1. ये नियम रवीन्द्र भवन एवं स्वराज पार्क, भोपाल आरक्षण नियम, 2012 कहलायेंगे। ये नियम जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे और ऐसे आरक्षणों पर लागू होंगे, जिनके कार्यक्रम नियम प्रभावशील होने के बाद सम्पन्न होने हैं।

भाग-दो परिभाषाएं

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ के कारण अन्यथा तात्पर्यत न हो,—

(क) सभागृह.—सभागृह से तात्पर्य है रवीन्द्र भवन सभागृह जिसमें 680 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है, तथा एक मंच है जिसके साथ साउण्ड एवं लाईट, पर्दों तथा 2 ग्रीन रूम की सुविधा है।

(ख) ओपन स्टेज.—ओपन स्टेज से तात्पर्य है रवीन्द्र भवन सभागृह की पूर्वी दीवाल से लगा हुआ स्थायी खुला मंच जिसके सामने जमीन पर बैठने के लिए केवल फर्शीकरण सुविधा है।

(ग) लॉन.—लॉन से तात्पर्य है—(1) रवीन्द्र भवन हॉल (व्ही.आई.पी. द्वार) के समक्ष स्थित लॉन अथवा (2) रवीन्द्र भवन और स्वराज भवन के मध्य (दक्षिण-पश्चिम कार्नर) पुराने फब्बरे के ऊपर का मैदान, अथवा (3) रवीन्द्र भवन परिसर के दक्षिण-पूर्व का कार्नर का शेष खुला मैदान फब्बरे से नीचे तक।

(घ) स्वराज पार्क.—स्वराज पार्क से तात्पर्य है रवीन्द्र भवन कार्यालय के सामने नीचे प्रथम लॉन के बाद पश्चिम की ओर नाले से लगा हुआ भू-खण्ड।

(ङ) आयोजक.—आयोजक से तात्पर्य है कोई संस्था, व्यक्ति अथवा शासकीय विभाग जो रवीन्द्र भवन सभागृह, ओपन स्टेज, लॉन अथवा स्वराज पार्क में कार्यक्रम करने के लिए उनका आरक्षण चाहता है।

(च) आरक्षण शुल्क.—आरक्षण शुल्क से तात्पर्य अनुसूची-एक में उल्लेखित राशि जिसके प्रतिफल स्वरूप किसी परिसर का आरक्षण किया जाना है।

(छ) संधारण प्रभार.—संधारण प्रभार से तात्पर्य है अनुसूची-दो में उल्लेखित राशि जो रवीन्द्र भवन परिसर में उपलब्ध किसी सामग्री के उपयोग के बदले आयोजक से प्रभारित की जावेगी।

(ज) व्यावसायिक आयोजन.—व्यावसायिक आयोजन से तात्पर्य ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से है जिसमें दर्शकों से कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए कोई राशि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वसूल की जावे तथा तदनुसार गैर व्यवसायिक आयोजन का भी अर्थ लगाया जावेगा।

भाग-तीन—आरक्षण के लिए पात्रता एवं प्रक्रिया

3. पात्रता:—सभागृह, ओपन स्टेज, लॉन अथवा स्वराज पार्क का आरक्षण किसी आयोजक द्वारा केवल सांस्कृतिक सामाजिक, शैक्षणिक अथवा शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ही प्राप्त किया जा सकेगा।

3.2 यदि आयोजक पूर्व में किसी कार्यक्रम के आयोजन में अनुशासन बनाये रखने, देयकों का भुगतान समय पर करने अथवा आरक्षण की किन्हीं शर्तों का पालन करने में डिफाल्टर रहा है तो उसे आरक्षण की पात्रता नहीं होगी।

4. आरक्षण के लिए आवेदन.—आरक्षण के लिए आवेदन आयोजक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रभारी अधिकारी रवीन्द्र भवन को कार्यक्रम की निर्धारित तिथि के कम से कम 15 दिवस तथा अधिकतम 60 दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4.2 आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क तथा प्रतिभूति की अग्रिम राशि जमा करनी होगी।

4.3 यदि किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है तो आरक्षण आवेदन के साथ ऐसी पूर्वानुमति की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.4 यदि आयोजक कोई संस्था अथवा शासकीय विभाग है तो आवेदन-पत्र पर उनके अधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए हस्ताक्षर मान्य होंगे।

5. आरक्षण के लिए स्वीकृति.—प्रभारी अधिकारी रवीन्द्र भवन के द्वारा आवेदन-पत्रों के अग्रताक्रम तथा आयोजित होने वाले कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभागृह/परिसर की उपलब्धता के आधार पर आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

5.2 साहित्य, नाटक, संगीत एवं नृत्य कलाओं के प्रदर्शन के लिए आरक्षण को प्राथमिकता दी जावेगी।

5.3 व्यक्तिगत कार्यक्रमों, शादी अथवा पार्टी के आयोजन हेतु किसी भी स्थल का आरक्षण नहीं किया जा सकेगा।

भाग-चार—आरक्षण के लिए शुल्क एवं रियायतें

6.1 सभागृह, ओपन स्टेज, लॉन अथवा स्वराज पार्क के आरक्षण के लिए शुल्क अनुसूची-एक के अनुसार देय होगा।

6.2 आरक्षण शुल्क में रियायत के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा। आरक्षण शुल्क में रियायत तथा रियायत की सीमा के लिए मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:—

6.2.1 संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी कार्यक्रम के लिए आरक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

6.2.2 विशुद्ध शास्त्रीय गायन तथा नृत्य के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सामान्य आरक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत तक रियायत आयोजन के महत्व के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी।

6.2.3 महिलाओं, बच्चों अथवा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी धर्मार्थ संस्था के पोषण के उद्देश्य से किसी चेरिटि कार्यक्रम आयोजन के लिए आरक्षण शुल्क में 75 प्रतिशत तक रियायत प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी।

6.2.4 सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आरक्षण शुल्क में कोई रियायत नहीं दी जावेगी।

6.2.5 किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा संस्कृति विभाग के साथ मिलकर कोई आयोजन करने पर आरक्षण शुल्क में रियायत की पात्रता तभी होगी जब ऐसे आयोजन के लिए शासन से कोई अनुदान स्वीकृत किए जाने की योजना तत्समय प्रचलित हो तथा शुल्क में दी गई रियायत को अनुदान की राशि में समायोजित किए जाने का प्रावधान हो।

- 6.2.6 आरक्षण शुल्क में रियायत हेतु प्रत्येक आवेदन संचालक संस्कृति को प्रस्तुत किया जावेगा। संचालक संस्कृति आवेदन-पत्र का परीक्षण कर आरक्षण शुल्क में रियायत की मात्रा का प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को देंगे। यदि आयोजन तिथि तक रियायत के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो आरक्षण शुल्क जमा कराकर आयोजन की अनुमति दी जा सकेगी। शुल्क रियायत स्वीकृत हो जाने पर आयोजक को रियायत की राशि संचालक द्वारा वापस की जावेगी।
- 6.2.7 अनुसूची-एक तथा अनुसूची-दो में निर्धारित दरों में न्यूनतम 5 प्रतिशत तथा अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि संचालक संस्कृति द्वारा प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन उपरांत प्रतिवर्ष की जा सकेगी। इस प्रकार निरंतर संशोधित अनुसूची-एक तथा अनुसूची-दो इन नियमों का भाग होगी।
- 6.2.8 यदि किसी आयोजन के संबंध में आरक्षण शुल्क में रियायत की पात्रता संबंधी मापदण्डों की पूर्ति के विषय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो माननीय विभागीय मंत्री का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

6.3 आरक्षण शुल्क की वापसी।—यदि आयोजक द्वारा कार्यक्रम की निर्धारित तिथि के पूर्व आरक्षण निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो आरक्षण शुल्क एवं प्रतिभूति की वापसी निम्नानुसार की जा सकेगी:—

- | | |
|--|--|
| 1. कार्यक्रम की निर्धारित तिथि के 21 दिवस पूर्व निरस्तीकरण हेतु आवेदन करने पर. | आरक्षण शुल्क की 20 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि तथा प्रतिभूति की राशि |
| 2. कार्यक्रम की निर्धारित तिथि के 15 दिवस पूर्व निरस्तीकरण हेतु आवेदन करने पर. | आरक्षण शुल्क की 50 प्रतिशत काटकर शेष राशि तथा प्रतिभूति की राशि |
| 3. कार्यक्रम की निर्धारित तिथि के पूर्व किन्तु ऊपर क्रमांक दो में विहित अवधि के पश्चात् आवेदन करने पर. | केवल प्रतिभूति की राशि |

6.4 आरक्षण शुल्क एवं प्रतिभूति की वापसी के लिए प्रत्येक आवेदन संचालक संस्कृति को प्रस्तुत किया जावेगा। संचालक द्वारा प्रत्येक मामले में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

6.5 यदि किसी आयोजक द्वारा एक ही पाली में दो व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो दूसरे आयोजन के लिए आरक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा।

6.6 आरक्षण शुल्क की प्राप्ति के एवज में दी जाने वाली रसीद फार्म एम.पी.टी.सी.-6 में होगी तथा लेखापाल/प्रबंधक रवीन्द्र भवन के हस्ताक्षर एवं मुद्रा से युक्त होगी। प्राप्त राशियों का निराकरण कोषालय नियमों के अनुसार किया जावेगा। नियमों के पालन की जिम्मेदारी लेखापाल की होगी।

6.7 आरक्षण शुल्क के साथ नियमानुसार सर्विस टैक्स देय होगा।

भाग-पांच—आरक्षण की शर्तें तथा निबंधन

7. किसी सभागृह/परिसर के आरक्षण के संबंध में तिथि परिवर्तन मान्य नहीं होगा। पुराना आरक्षण निरस्त कराकर नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8. आयोजक द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त सामग्री की मांग कार्यक्रम के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करने पर उपलब्धता अनुसार प्रदाय संभव हो सकेगा।

| | | |
|--------------|---|--|
| प्रकाश | — | उपलब्ध स्पॉट लाईट, डीमर फ्लड लाईट |
| ध्वनि | — | उपलब्ध ध्वनि सामग्री सहित |
| फर्नीचर | — | उपलब्ध टेबिल, कुर्सी, स्पीच स्टेप्प (पोडियम) |
| अन्य सामग्री | — | उपलब्ध फ्लेट्स, तख्त, स्टूल आदि। |

9. सभाभवन सामान्यतः किसी कार्यक्रम के लिए एक समय में 3 दिन से अधिक के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 3 दिन से अधिक अवधि की स्वीकृति संचालक, संस्कृति संचालनालय द्वारा दी जा सकेगी।

10. सभागृह में कार्यक्रम हो जाने के पश्चात् प्रतिभूति की वापसी योग्य राशि 7 दिवसों के भीतर आयोजक द्वारा कार्यालय से प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा। उक्त अवधि के पश्चात् उक्त राशि शासन के खाते में जमा कर दी जावेगी।

11. आरक्षण शुल्क तथा प्रतिभूति राशि जमा होने के बाद ही आरक्षण मान्य होंगे। आरक्षण शुल्क की रसीद के साथ प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

12. रवीन्द्र भवन सभागृह/परिसर में किसी भी प्रकार के व्यावसायिक विज्ञापन, बैनर अथवा पोस्टर लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

13. जिन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सभा भवन का साउण्ड एवं लाईट सिस्टम पर्यास नहीं पाया जाता उनमें आयोजक अपने व्यय पर बाहरी साउण्ड एवं लाईट सिस्टम की व्यवस्था कर सकेंगे। बशर्ते ऐसी बाहरी व्यवस्था से सभा भवन में स्थापित किसी उपकरण को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति आयोजक को करनी होगी।

14. कार्यक्रम के दौरान सभी प्रकार का अनुशासन बनाए रखने का दायित्व अनिवार्य रूप से आयोजक का होगा।

15. संयोगवश किसी भी तकनीकी खराबी से ए.सी. संयंत्र न चलने की स्थिति में या विद्युत की गड़बड़ी के कारण कार्यक्रम में व्यवधान के लिए रवीन्द्र भवन प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा और न ही आरक्षण शुल्क की राशि लौटाई जायेगी।

16. परिसर में केटरिंग कार्य केवल रवीन्द्र भवन द्वारा अधिकृत केन्टीन के माध्यम से ही होगा। केन्टीन के लिए पर्यास समय पूर्व केन्टीन प्रबंधन को सूचित करना होगा।

17. सभाभवन का आरक्षण किसी भी स्थिति में रात्रि 10.00 बजे तक ही उपलब्ध हो सकेगा।

18. सभाभवन में अतिरिक्त कुर्सियां लगाने की अनुमति नहीं होगी।

19. कार्यक्रम के आयोजन के दौरान वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही रखना होगा। वाहनों के गुम होने अथवा चोरी होने पर रवीन्द्र भवन प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

20. सभागृह के अन्दर किसी प्रकार का पेय एवं खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। रवीन्द्र भवन परिसर में कहीं भी चाय या खाना बनाना तथा मदिरा या धूप्रपान वर्जित है।

21. दीवाल/स्टेज/पर्टी/विंग्स में किसी भी तरह फेवीकोल, कील तथा आलपिन लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इनका पालन नहीं करने पर संचालक संस्कृति द्वारा आयोजक पर क्षतिपूरक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

22. सभागृह में जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विद्युत् अवरोध की स्थिति में रवीन्द्र भवन प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा। आयोजक जनरेटर की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर सकेंगे।

23. विशेष परिस्थितियों में किसी भी आरक्षण को रद्द करने का पूर्ण अधिकार संस्कृति विभाग एवं संचालक संस्कृति को होगा।

24. आरक्षण के संबंध में उत्पन्न समस्त विवादों में प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा लिया गया निर्णय सभी पक्षों को मान्य और बंधनकारी होगा।

25. परिसर का आरक्षण इस प्रकार किया जावेगा कि एक ही स्थल पर दो कार्यक्रमों के बीच पर्यास अन्तराल रहे ताकि आरक्षित स्थल की साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके।

26. यदि कोई आयोजक सभागृह रिहर्सल के लिए लेगा तो सामान्य कार्यक्रम आयोजन के लिए देय सम्पूर्ण आरक्षण शुल्क जमा करने पर ही आरक्षण किया जा सकेगा।

27. ओपन स्टेज के लिए आरक्षण करते समय कार्यक्रम की पूर्व तैयारी एवं कार्यक्रम पख्यात् स्थल से टेंट, लाईट, साउण्ड इत्यादि सामग्री खाली कराने के लिए संबंधित आयोजन को कार्यक्रम से एक दिन पूर्व तथा एक दिन बाद का भी शुल्क जमा करना होगा। अन्यथा उन्हें स्थल का आधिपत्य उसी दिन दिया जावेगा, जिस दिन के लिए आरक्षण शुल्क जमा किया गया है।

28. आयोजन के संबंध में सभी प्रकार के शासकीय करों का भुगतान आयोजक द्वारा किया जावेगा।

29. **संशोधन एवं परिवर्तन।**—इन नियमों में परिवर्तन तथा संशोधन करने के पूर्ण अधिकार संस्कृति विभाग को होंगे।

30. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—इन नियमों के प्रभावशील होने के उपरांत रवीन्द्र भवन, भोपाल आरक्षण नियम, 2003 निरस्त माने जावेंगे। निरस्त नियमों के अधीन पूर्व में की गयी कोई संविदा इन नियमों के अधीन की गयी मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव।

अनुसूची-एक—आरक्षण शुल्क

रवीन्द्र भवन सभागृह/पासिर तथा स्वराज पार्क परिसर की सुविधाओं के उपयोग हेतु आरक्षण शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी।

नियम की कंडिका भाग-चार बिन्दु क्रमांक छह: अनुसार शुल्क बढ़ाने/परिवर्तित करने का प्रावधान होगा।

ऑडिटोरियम के आरक्षण की दरें—

| | सामान्य | वातानुकूलन सहित |
|--|----------|-----------------|
| 1.1 संस्कृति संचालनालय के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं (संचालनालय/परिषद् से मान्य) पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं को एक पाली (शिफ्ट) सुबह 9 से 3 बजे अथवा अपराह्न 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। | 3,000.00 | 6,000.00 |
| प्रतिभूति राशि— | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1.2 (अ) फिल्म शो— | 3,000.00 | 6,000.00 |
| प्रतिभूति राशि— | 3,000.00 | 6,000.00 |
| प्रोजेक्टर शुल्क (म.प्र. कला परिषद्, भोपाल को देय) (प्रति शो) | 2,000.00 | - |
| 2.1 व्यावसायिक संस्थाएं, राज्य शासन एवं भारत शासन के कार्यालय अथवा उनकी संस्थाओं, बैंक, निजी संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं के लिये एक शिफ्ट (छह घंटे) सुबह 9 से 3 बजे अवधा अपराह्न 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। | 8,000.00 | 10,000.00 |
| 2.2 प्रतिभूति राशि (उपर्युक्त दरों में विद्युत् शुल्क एवं अतिरिक्त उपकरणों आदि का किराया सम्मिलित नहीं है।) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 3.1 शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य के सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु रिहर्सल चाहे जाने पर (3 घंटे के लिए साउण्ड सिस्टम के साथ उपलब्धता के आधार पर सभागृह आरक्षित कराने वाली संस्थाओं को) विद्युत् शुल्क एवं अन्य सभी शुल्क इसी राशि में समाहित हैं। | 5,500.00 | - |

लॉन के आरक्षण की दरें,—

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 4.1 | रवीन्द्र भवन हॉल (व्ही.आई.पी. छार) के समक्ष स्थित लॉन | 2,500.00 प्रतिदिन |
| 4.2 | ओपन स्टेज (कार्यक्रम की पूर्व तैयारी स्थल आधिपत्य के दिनांक से कार्यक्रम सामग्री स्थल से खाली करने तक किराया देय होगा। ओपन स्टेज के लिये रवीन्द्र भवन द्वारा विद्युत् प्रदाय नहीं किया जायेगा। | 5,000.00 प्रतिदिन |
| 4.3 | रवीन्द्र भवन और स्वराज भवन के मध्य (दक्षिण-पश्चिम कार्नर) पुराने फब्बारे के ऊपर का मैदान | 5,000.00 प्रतिदिन |
| 4.4 | रवीन्द्र भवन परिसर के दक्षिण-पूर्व का कार्नर का शेष खुला मैदान फब्बारे से नीचे तक. | 2,000.00 प्रतिदिन |
| 4.5 | स्वराज पार्क | 25,000.00 प्रतिदिन |

5. **विद्युत् शुल्क।**—सभागृह के आरक्षण के लिए जमा की गई प्रतिभूति राशि में से विद्युत् शुल्क की राशि का भुगतान मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल द्वारा "तदसमय प्रचलित निर्धारित दर के अनुसार किया जावेगा। विद्युत् दर में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई राशि का निर्धारण संचालक, संस्कृति कर सकेंगे।

6. सभागृह की एक पाली का निःशुल्क आरक्षण होने पर विद्युत् शुल्क के रूप में ए.सी. लेने पर रु. 5,000/- तथा नॉन ए.सी. रु. 2,000/- समेकित राशि जमा कराई जायेगी। इसमें से कोई राशि वापस नहीं होगी। सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई कर जिसके प्रावधान होंगे पृथक् से देय होगा।

अनुसूची-दो—कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी सामग्रियों की दरें

रवीन्द्र भवन परिसर तथा स्वराज पार्क परिसर में आयोजित कार्यक्रमों के लिए ली जाने वाली सामग्रियों का किराया निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। नियम की कंडिका भाग-चार बिन्दु क्रमांक छहः अनुसार शुल्क बढ़ाने/परिवर्तित करने का प्रावधान रहेगा।

अतिरिक्त उपकरण एवं विद्युत् सामग्री के लिये प्रति पाली किराया निम्नानुसार होगा:—

| क्र. (1) | सामग्री (2) | प्रति नग किराया (3) |
|-------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | कालीन | 6×12/8×12 150/- |
| 2 | सोफा सेट | - 250/- |
| 3 | सोफानुमा कुर्सी | 50/- |
| 4 | तख्त | 6×3 25/- |
| 5 | फलेट | 6×4 20/- |
| 6 | फ्लेट | 6×3 20/- |
| 7 | पेनल | 8×4 30/- |
| 8 | कुर्सी व्ही.आई.पी. (पी.वी.सी.) | 15/- |
| 9 | कुर्सी लकड़ी | 15/- |
| 10 | सेन्टर टेबल (कांच 2×3) | 40/- |
| 11 | सेन्टर टेबल लकड़ी (कांच 2×4) | 40/- |

| (1) | (2) | (3) |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 12 | सेन्टर टेबल लकड़ी (कांच 2x6) | 50/- |
| 13 | वेलवेट ट्रे | 20/- |
| 14 | दरी | 30/- |
| 15 | टेबल क्लॉथ | 10/- |
| 16 | दीपशिखा (बड़ी) | 100/- |
| | दीपशिखा (छोटी) | 40/- |
| 17 | स्पीट स्टेंड (कांच/लकड़ी) | 150/- |
| 18 | काऊच | 75/- |
| 19 | पार्टीशन | 100/- |
| 20 | मचिया | 10/- |
| 21 | स्टूल (पी.वी.सी.) | 10/- |
| 22 | आरक्षित कवर (प्रति नग) | 2/- |
| स्पेशल इफेक्ट : सःशुल्क | | |
| 1 | वाटर इफेक्ट | 1 150/- |
| 2 | मिरर वॉल | 1 150/- |
| 3 | स्मोक इफेक्ट | 1 200/- (फ्यूल के लिए राशि अलग से देय होगी). |
| 4 | फिलिकर इफेक्ट (स्टोब लाईट) | 1 200/- |
| 5 | मूवी वाश लाईट | 1 600/- |
| 6 | अतिरिक्त 1000 वॉट (स्पाट लाईट) | प्रतिनग 75/- |
| 7 | अतिरिक्त 500 वॉट (स्पाट लाईट) | प्रतिनग 50/- |
| 8 | लीड माईक (अतिरिक्त) | प्रतिनग 50/- |
| 9 | कार्डलेस लेपल माईक | प्रतिनग 150/- |
| 10 | कार्डलेस हेन्ड माईक | प्रतिनग 150/- |
| 11 | केसेट रिकांडिंग (प्रतिनग) | प्रतिनग 50/- |
| निर्धारित किराये में सम्मिलित | | |
| 14 | स्पाट लाईट | |
| 6 | माईक (विथ कॉड) | |

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल, 2012

क्र. 14-2011-स्था.-1-वि(निर्वा.)-194.—भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश निर्वाचन सेवा (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए अर्थात्:—

अनुसूची

(नियम 2, 3 तथा 4 देखिए)

| अनुक्रमांक | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती/ पदोन्नति) | सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम/अधिकतम आयु | सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं | पदोन्नति की दशा में वह पद जिससे पदोन्नति की जानी है | अन्य अपेक्षाएं |
|------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | दफ्तरी | 1 | चतुर्थ श्रेणी | 4440-7440+1400 ग्रेड पे | पदोन्नति द्वारा | - | - | भूत्य/फर्राश | - |
| 2 | जमादार | 1 | चतुर्थ श्रेणी | 4440-7440+1400 ग्रेड पे | पदोन्नति द्वारा | - | - | भूत्य/फर्राश | - |
| 3 | भूत्य | 7 | चतुर्थ श्रेणी | 4440-7440+1300 ग्रेड पे | सीधी भर्ती द्वारा | 18 वर्ष/35 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. | - | 1. साइकिल चलाने योग्य. 2. लेखन परीक्षा ली जाएगी. |
| 4 | फर्राश | 1 | चतुर्थ श्रेणी | 4440-7440+1300 ग्रेड पे | सीधी भर्ती द्वारा | 18 वर्ष/35 वर्ष | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. | - | 1. साइकिल चलाने योग्य. 2. लेखन परीक्षा ली जाएगी. |

No. 14-2011-Estt.-1-Law(Ele)-194.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor or Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Election Services (Class-IV) Recruitment Rules, 1978, namely:—

AMENDMENT

For the Schedule the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE (See rule 2, 3 and 4)

| S.No. | Name of the Post | Number of the Posts | Classification | Pay Scale | Method of recruitment (Direct recruitment/ promotion) | Minimum/maximum age for the direct recruitment | Educational qualification for direct recruitment | In case of promotion the post from which promotion is to be given | Other requirements |
|-------|------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---|--|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Daftari | 1 | Class IV | 4440-7440+1400 Grade Pay | By Promotion | - | - | Peon/Farrash | - |
| 2 | Jamadar | 1 | Class IV | 4440-7440+1400 Grade Pay | By Promotion | - | - | Peon/Farrash | - |
| 3 | Peon | 7 | Class IV | 4440-7440+1300 Grade Pay | By direct recruitment | 18 years/35 years | should have passed class VIII | - | 1. Should be able to drive bicycle. 2. Writing test will be taken. |
| 4 | Farrash | 1 | Class IV | 4440-7440+1300 Grade Pay | By direct recruitment | 18 years/35 years | should have passed class VIII | - | 1. Should be able to drive bicycle. 2. Writing test will be taken. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयदीप गोविंद, प्रमुख सचिव.